प्रेस नोट

जनपद भदोही

दिनांक: 08/08/2026

थाना गोपीगंज पु लस की बड़ी कार्यवाही: ववाहिता को आत्महत्या के लए उकसाने व दहेज हत्या से संबं धत मुख्य वांछित अ भयुक्त गरफ्तार

घटना का सं क्षप्त ववरण

वादी छन्नू लाल गौतम पुत्र स्व० लल्लू राम गौतम निवासी ग्राम तिलठी, थाना चल्ह, जिला मीरजापुर द्वारा थाना स्थानीय पर ल खत सूचना दी गई क उन्होंने अपनी पुत्री नीलम की शादी दिनांक 08.06.2025 को सुबेदार गौतम के साथ हिन्दू रीति-रिवाज से की थी। शादी के बाद से ही पति सुबेदार, देवर मुक्तार गौतम, ज्येष्ठ राकेश व राजेश गौतम द्वारा मोटर साइ कल की मांग को लेकर मृतका को शारीरिक व मान सक रूप से प्रता ड़त कर मारते-पीटते थे तथा जान से मारने की धमकी देते थे। दिनांक 16.06.2026 को वप क्षयों द्वारा प्रताड़ना से तंग आकर मृतका ने फांसी लगा ली, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना गोपीगंज पर मु०अ०सं० 272/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डी०पी० एक्ट पंजीकृत कर ववेचनात्मक कार्यवाही प्रच लत की गई।

* गरफ्तारी का ववरण:-*

श्री अ भनव त्यागी, पु लस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में वांछित अ भयुक्तों के गरफ्तारी अ भयान के क्रम में *श्री शुभम अग्रवाल,* अपर पु लस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 08/08/2026 को थाना गोपीगंज पु लस टीम द्वारा मुखबिर खास की सटीक सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पड़ाव चौराहा से मुख्य वांछित अ भयुक्त को गरफ्तार कर लया गया। व धक कार्यवाही के उपरांत चालान मा0 न्यायालय कया गया।

* गरफ्तार अ भयुक्त का ववरण:-*

सुबेदार गौतम पुत्र स्व० कडेदीन गौतम, निवासी- ग्राम तुरन्तपुर (चकमान्धाता), थाना गोपीगंज, जिला भदोही उम्र- 25 वर्ष।

* गरफ्तार करने वाली पु लस टीम:-*

उ०नि० ओमप्रकाश यादव, पीआरडी सर्वजीत पाल, म०का० मीरा यादव, म०का० कल्पना व हो०गा० चालक दयाशंकर दूबे थाना गोपीगंज, जनपद भदोही।